an>

Title: Need to enhance allocation for Malnutrition Treatment Centres in Rajasthan and also set up more such centres in the State.

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर) ः राजस्थान में अभी कुपोषण ग्रस्त बच्चों की देखभाल के लिए अभी 100 रू. की राशि मानदेय के रूप में प्रतिदिन दी जाती है। जबकि सितम्बर, 2016 तक तो यह राशि 165 रू. प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती थी। जबकि प्रदेश सरकार द्वारा इस विषय में वर्ष 2016-17 की अनुमोदित पी.आई.पी. में प्रतिदिन रूपये 165 करने के लिए आग्रह किया गया था जोकि अब तक भी केवल 100 रू. प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि बच्चों की देखभाल करने वाले का श्रम क्षतिपूर्ति 100 रू. प्रति दिवस के बजाय 165 रू. के हिसाब से अनुमोदित करें क्योंकि यह बीमारी ज्यादातर आर्थिक एवं शारीरिक तौर पर कमजोर बच्चों में ज्यादा पाई जाती है तथा बच्चों का कुपोषण उपचार केंद्र पर नियमित ठहराव सुनिश्चित किया जा सके।

इसी प्रकार बिस्तर वाले कुपोषण उपचार केंद्रों के संचालन हेतु परिचालन लागत 80,000 रू. प्रति कुपोषण उपचार केंद्र का अनुमोदन नहीं किया गया है जबकि ज्यादातर 6 बिस्तर वाले कुपोषण उपचार केंद्र क्रियाशील है। अतः उनके सुचारू रूप से संचालन हेतु उपरोक्त राशि आवश्यक है। परंतु राजस्थान प्रदेश का भौगोलिक दृष्टि के कारण मात्र जिला स्तर पर कुपोषण उपचार केंद्र का होना काफी नहीं है अपितु जिले के अन्य क्षेत्रों में भी आवश्यकताओं को देखते हुए कुपोषण उपचार केंद्र का होना जरूरी है।